

(112)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0,



Rs. 20/-

R - 3313 - II/4 |

1. आगवत कचेर तनय छंगा उर्फ छविलाल कचेर,
2. त्रिवेणी कचेर ^{भव्य} आगवत कचेर,
दोनों निवासी ग्राम चकडौर तहसील रामपुर नैकिन वृत्त हनुमानगढ़
जिला सीधी म0प्र0,

.....निगरानीकर्त्तागण

बनाम

रामसुन्दर सिंह गोड तनय श्री रामसराहा सिंह गोड, निवासी ग्राम चकडौर
तहसील रामपुर नैकिन वृत्त हनुमानगढ़ जिला सीधी म0प्र0,

.....रेस्पाफेन्ट,

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त
रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण
क्रमांक-799/अपील/2013-14 पारित आदेश
दिनांक-21.08.2014,

.....
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व
संहिता 1959ई0,

आधार,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत
होने से निस्संतानी के योग्य है।

आठवां

त्रिवेणी

(८)

(१२)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—आ

(२१३)

मामला क्रो—R.3313-II/14

जिला—सीधी

भागवत कचेर व अन्य/रामसुन्दर सिंह गोड़

(1)	(2)	(3)
27.08.19 <i>श्रीलक्ष्मण</i>	<p>प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>उभयपक्ष अनुपस्थित है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की अनुपस्थित के आधार पर यह प्रकट होता है, कि आवेदक की रुचि प्रकरण को चलाने में नहीं है। ऐसी दशा में यह प्रकरण अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।</p> <p>दा.द.</p> <p style="text-align: right;">संदर्भ</p>	